



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: Press Release

Reference No.: --

Date: 21/04/2016

The Insurance Awareness Day was celebrated by IRDAI on April 19, 2016.

The Insurance Awareness Day, commemorating the formation of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), was celebrated by IRDAI on April 19, 2016.

The Finals of the Pan-India Insurance Awareness Quiz was held in the forenoon. Teams from four insurance companies participated in the final. While the team from National Insurance was the winner, the team from Exide Life was runner up.

This was followed by a Panel Discussion on Best Insurance Awareness Policies moderated by Shri P.J. Joseph, Member (Non-Life). The panel was unanimous about having a multipronged and multi-agency approach towards insurance awareness with print, electronic and social media involving all stakeholders viz., insurance companies, educational institutions, insurance councils, IRDAI, other regulators and Government, customising the content and delivery in accordance with the target audience. The members felt that the insurance penetration would increase when insurance awareness can be promoted to make general public realize the need for insurance and aware of the dos and don'ts while purchasing and availing of insurance services and channels of grievance redressal. The panel was unanimous that the simple social insurance schemes launched by the government and publicity by all stakeholders for popularizing these schemes can positively improve insurance inclusion. Three Cs viz. Customer education, claim handling and complaint resolution can help insurers to build and reinforce confidence in the insurance sector, which can serve as a positive reinforcement for greater insurance inclusion both in life and general insurance including health insurance segments.

The main function in the afternoon started with the lighting of the lamp by the Chief Guest Dr. Y. V. Reddy, Chairman, 14th Finance Commission and Former Governor of RBI.

Shri TS Vijayan, Chairman, IRDAI, in his welcome address, gave a brief outline about the developments in the insurance sector since opening of the insurance sector for private participation and setting up of IRDAI and the important developments during the year 2015-16 consequent upon the delegation of greater regulatory powers to IRDAI through the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

Continuing with the practice of launching consumer education material prepared by IRDAI, the Handbooks on Life insurance riders; Insurance Sector's Grievance Redressal; and Householders and Shopkeepers policies were released by the Chief Guest. Prizes were distributed to the winners of the Insurance awareness quiz and South Zone winners of the National Financial Literacy Assessment Test conducted by National Centre for Financial Education.

Addressing the participants, the Chief Guest, Dr YV Reddy, talked about the importance of insurance awareness given the peculiarities of financial services in comparison to any other goods or services as financial services are exchange of claims over time, space, uses and risks, information asymmetry between the financial intermediary and the customer, limited liability and highly leveraged nature of entities. The role of financial regulator would be to repose trust of the members of public on the financial sector and the financial intermediaries. He stated that the emphasis of financial regulators on financial inclusion started with the global financial crisis. However, he cautioned that financial inclusion is

a means and not the end for economic development and other aspects of progress. While appreciating the efforts of the IRDAI in promoting insurance literacy through a call centre, consumer education website etc., he urged upon IRDAI to consider realigning the call centre as a query centre to provide generic information for financial literacy at the point of need on a 24X7 basis in regional languages. He appreciated the efforts taken by IRDAI in building a competitive and sound insurance sector, thereby fulfilling the dual roles of policyholder protection and ensuring orderly growth of the insurance sector, making it unique and respected insurance regulators in the world.

Ms. Pournima Gupte, Member (Actuary) proposed the vote of thanks.

प्रेस-विज्ञप्ति

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना की स्मृति में 19 अप्रैल 2016 को बीमा जागरूकता दिवस के समारोह का आयोजन प्राधिकरण द्वारा किया गया।

अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का अंतिम दौर पूर्वाह्न में आयोजित किया गया। अंतिम दौर में चार बीमा कंपनियों की टीमों ने भाग लिया। नेशनल इश्योरेंस कंपनी लि. की टीम विजेता रही, जबकि एक्साइड लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. की टीम उपविजेता।

इसके उपरांत सर्वोत्तम बीमा जागरूकता नीतियों पर एक पैनल चर्चा की गई जिसका संचालन श्री पी. जे. जोसेफ, सदस्य (गैर-जीवन) द्वारा किया गया। लक्ष्य-समूह के अनुसार विषय-वस्तु और वितरण को आवश्यकतानुसार तैयार करते हुए सभी हितधारकों अर्थात् बीमा कंपनियों, शैक्षिक संस्थाओं, बीमा परिषदों, आईआरडीएआई, अन्य विनियमनकर्ताओं और सरकार को संबद्ध करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बीमा जागरूकता के प्रति बहुविध और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने के बारे में पैनल एकमत थी। सदस्यों ने महसूस किया कि बीमा व्यापन में वृद्धि तब होगी जब जनसाधारण को बीमा सेवाओं की खरीद और उपयोग करते समय बीमा की आवश्यकता से तथा शिकायत निवारण के माध्यमों से अवगत कराया जाए एवं करणीय और अकरणीय की जानकारी देते हुए बीमा जागरूकता को बढ़ावा #2351;ा जाए। पैनल एकमत थी कि सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सरल सामाजिक बीमा योजनाओं से तथा इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा प्रचार-प्रसार से बीमा समावेशन में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। तीन 'सी' अर्थात् ग्राहक शिक्षा, दावा निपटारा और शिकायत समाधान बीमा क्षेत्र में विश्वास का निर्माण और प्रबलन करने में बीमाकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं तथा स्वास्थ्य बीमा सहित, दोनों जीवन और साधारण बीमा खंडों में अधिकाधिक बीमा समावेशन के लिए सकारात्मक प्रबलीकरण के रूप में योगदान कर सकते हैं।

मुख्य समारोह अपराह्न में मुख्य अतिथि डॉ. वाई. वी. रेड्डी, अध्यक्ष, 14वाँ वित्त आयोग और भूतपूर्व गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दीप-प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ।

श्री टी. एस. विजयन, अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने अपने स्वागत भाषण में निजी सहभागिता के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने और आईआरडीएआई की स्थापना से लेकर बीमा क्षेत्र में प्रगति तथा बीमा (विधि) अधिनियम, 2015 द्वारा आईआरडीएआई को अधिकाधिक विनियामक शक्तियों के प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की।

आईआरडीएआई द्वारा तैयार की गई उपभोक्ता शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की प्रथा को जारी रखते हुए जीवन बीमा अनुवृद्धियाँ; बीमा क्षेत्र का शिकायत निवारण; तथा मकान मालिकों और दुकानदारों की पॉलिसियाँ पर हस्त-पुस्तिकाओं का विमोचन मुख्य अतिथि द्वारा

किया गया। आखिल भारतीय प्रश्नोत्तरों प्रांतीयोगिता के विजेताओं एवं वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा के दक्षिणी अंचल के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

सहभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. वाई. वी. रेड्डी ने किन्हीं अन्य वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में वित्तीय सेवाओं की विशिष्टताओं को देखते हुए बीमा जागरूकता के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि वित्तीय सेवाएँ समय, स्थान, उपयोग और जोखिम, वित्तीय मध्यवर्ती और ग्राहक के बीच सूचना की विषमता, संस्थाओं की सीमित देयता और अत्यधिक उन्नत स्वरूप के संदर्भ में दावों का विनिमय होती हैं। वित्तीय विनियमनकर्ता की भूमिका वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय मध्यवर्तियों पर जनता के सदस्यों के विश्वास को मजबूती प्रदान करने की होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन पर वित्तीय विनियमनकर्ताओं का जोर वैश्विक वित्तीय संकट के साथ प्रारंभ हुआ। तथापि, उन्होंने सतर्क किया कि वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और प्रगति के अन्य पहलुओं के लिए एक साधन मात्र है, उसका अंत नहीं। एक कॉल सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट आदि के माध्यम से बीमा साक्षरता को बढ़ावा देने में आईआरडीएआई के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने आईआरडीएआई से क्षेत्रीय भाषाओं में 24X7 आधार पर आवश्यकता के समय वित्तीय साक्षरता के लिए व्यापक सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक पूछताछ केन्द्र के रूप में कॉल सेंटर को पुनर्व्यवस्थित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। एक प्रतियोगी और सुदृढ़ बीमा क्षेत्र का निर्माण करने तथा उसके द्वारा पॉलिसीधारक संरक्षण और बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि को सुनिश्चित करने की दुहरी भूमिका का निर्वाह करते हुए इसे विश्व में एक विलक्षण और सम्मानित बीमा विनियमनकर्ता बनाने में आईआरडीएआई द्वारा किये गये प्रयासों की उन्होंने सराहना की।

सुश्री पूर्णिमा गुप्ते, सदस्य (बीमांकिक) ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।